फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला–श्रीगंगानगर

सरदुल उॅर्फ सुभाषचन्द्र बनाम सरकार व अन्य

किस्म मुकदमाः– 88,207,209 आरटीए प्रकरण संख्याः– 182/2023 (GCMS 2023/179)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.05.2024	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। वकील वादी ने वाद पत्र को दोहराते हुए बताया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 17 के नाम से संयुक्त खाता में चक 1 केएसआर–ए की जमाबंदी सम्वत् 2073 ता 76 के खाता संख्या 131/27 में कुल 7.918 हैक्टर नहरी मय खाला भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जैरवाद भूमि में वादी का हिस्सा 330/3959 यानि 0.660 हैक्टर है। मौका पर वादी खातेदार की हैसियत से काबित काश्त है। वादी का नाम जैरवाद भूमि की जमाबंदी में सरदुल पुत्र मोहन जाति कुम्हार साकिन 1 केएसआर–ए दर्ज है। जबकि सरकारी रिकार्ड जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र में सुभाषचन्द्र पुत्र मोहनलाल जाति कुम्हार साकिन आलमगढ़ तहसील अबोहर जिला फिरोजपुर पंजाब है। वादी का दोनों नामों से पुकारा जाता है। अलग–अलग नाम होने से वादी को सरकारी सुविधाओं का फायदा नही मिल पा रहा है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जावे। पत्रावली प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 11.12.2023 को उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। दिनांक 11.03.2024 को प्रतिवादी संख्या 2 ता 17 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। दिनांक 19.03.2024 को वादी व गवाह बद्रीप्रसाद ने उपस्थित होकर साक्ष्य वादी बयान शपथ पत्र प्रस्तुत किये। जिरह साक्ष्य वादी शून्य रही। बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र को दोहराते हुए बताया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 17 के नाम से संयुक्त खाता में चक 1 केएसआर–ए की जमाबंदी सम्वत् 2073 ता 76 के खाता संख्या 131/27 में कुल 7.918 हैक्टर नहरी मय खाला भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जैरवाद भूमि में वादी का हिस्सा 330/3959 यानि 0.660 हैक्टर है। वादी का नाम जैरवाद भूमि की जमाबंदी में सरदुल पुत्र मोहन जाति कुम्हार साकिन 1 केएसआर–ए दर्ज है। जबकि सरकारी रिकार्ड जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र में सुभाषचन्द्र पुत्र मोहनलाल जाति कुम्हार साकिन आलमगढ़ तहसील अबोहर जिला फिरोजपुर पंजाब है। अतः वाद वादी स्वीकार कर नाम दुरस्त करने का निवेदन किया गया। प्रतिवादी संख्या–1 राजपैरोकार ने राज्य हित को सुरक्षित रखते हुए वाद का निर्णय करने का निवेदन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक मनन किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 17 के नाम से संयुक्त खाता में चक 1 केएसआर–ए की जमाबंदी सम्वत् 2073 ता 76 के खाता संख्या 131/27 में कुल 7.918 हैक्टर नहरी मय खाला भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसमें वादी सरदुल पुत्र मोहन जाति कुम्हार साकिन 1 केएसआर–ए के स्थान पर सुभाषचन्द्र पुत्र मोहनलाल जाति कुम्हार साकिन आलमगढ़ तहसील अबोहर जिला फिरोजपुर पंजाब करवाना चाहता है। वादी ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत [illegible], जिससे यह साबित हो कि वादी का नाम जमाबंदी में कैसे गलत [illegible] संयुक्त खाता में किसी सहकाश्तकार के बया[illegible] ने भी अपने जवाब दावा में कोई ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत नही की है जिससे यह स्पष्ट हो कि नाम दुरस्त किया जाना सही हो। अतः वाद वादी स्वीकार कि[illegible] जाना हम उचित नही समझते है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी अस्वीकार किया जाता है। डिक्री जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.05.20 17:30:40 IST
Reason: SelfAttested

(ओ021 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

–::परचा डिकी::–

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

(बइजलास :–सीता शर्मा, आर.ए.एस.)

–:: अनवान ::–

1.सरदुल उर्फ सुभाषचन्द्र पुत्र मोहन उर्फ मोहनलाल जाति कुम्हार निवासी 1 केएसआर–ए हाल निवास आलमगढ़ तहसील आलमगढ़ तहसील अबोहर जिला फिरोजपुरा पंजाब

–वादी

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सूरतगढ़
2.अनिल कुमार पुत्र धर्मपाल
3.काशीराम पुत्र हजारी
4.कालूराम पुत्र जसराम
5.नेतराम पुत्र ताराचन्द
6.नरेन्द्र कुमार पुत्र ताराचन्द
7.नरेश कुमार पुत्र ताराचन्द
8.मनीराम पुत्र जसराम
9.मनीराम पुत्र हजारी
10.महावीर पुत्र धर्मपाल
11.रजीराम पुत्र कानाराम
12.राजेन्द्र कुमार पुत्र ताराचन्द
13.लीलूराम पुत्र कानाराम
14.श्योकरण पुत्र हजारी
15.सरस्वती देवी पत्नी ताराचन्द
16.सोहनलाल पुत्र हजारी
17.हनुमानप्रसाद पुत्र जसराज

(2 से 17 तक) जाति कुम्हार निवासीयान चक 1 केएसआर–ए तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

–प्रतिवादीगण

(मोहर: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ)

वाद पत्र धारा–88,207,209 आर.टी.एक्ट मुकदमा नं. 182 वर्ष 2023 (GCMS 2023/179) यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी श्री रामनारायण जालप व राज पैरोकार के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिकी जारी की जाती है कि:–

वाद वादी अस्वीकार किया जाता है।

नोज......ग......मुबलिग......ग......बाबत......ग...... [illegible]......ग...... फस्दों की पालना......ग......आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत [illegible] 2024 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.05.20 17:50:40 IST
Reason: SelfAttested

(सीता शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

(मोहर: उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.))